क्रम-संख्या–9 (क-1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 27 जनवरी, 2025

माघ 7, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग–1

संख्या ऑडिट–1–04/दस-2025-300(1) -13टी0सी0

लखनऊ, 27 जनवरी, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–36

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:–

उत्तर प्रदेश सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2024 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में,नियम– 3 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (च) और (छ) के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उप नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
(च) उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो इस रूप में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया हो और जिसमें प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य सम्मिलित है,	(च) निकाल दिया गया।

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(छ) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो इस रूप में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया हो और जिसमें मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के कार्यालय का लेखा परीक्षा अधिकारी अथवा संस्थाओं और प्रवक्ता प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्त व्यक्ति सम्मिलित है।	(छ) "जिला लेखा परीक्षा अधिकारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो इस रूप में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया हो और जिसमें निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश के कार्यालय अथवा अन्य संस्थाओं और प्रशिक्षण संस्थान में नियुक्त सहायक निदेशक सम्मिलित है।

नियम–5 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–5 के स्थान पर, स्तम्भ– 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का स्रोत– सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी– **(1) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी–** (एक) पचास प्रतिशत आयोग द्वारा संचालित संयुक्त राज्य सेवाएं परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) पचास प्रतिशत सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा संगठनों के मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वाराः परन्तु यह कि– यदि प्रतिशत के आधार पर पदों की संख्या पूर्णांक में नहीं है तो पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की संख्या अगले पूर्णांक में होगीः परन्तु यह और कि यदि भर्ती के किसी वर्ष में पदोन्नति के लिए पर्याप्त पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा संगठनों के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को, जिन्होने सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, सम्मिलित करके, के पदों पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, सम्मिलित किए जाने हेतु पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है ।	**भर्ती का स्रोत–** सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी– **(1) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/ सहायक निदेशक–** (एक) पचास प्रतिशत आयोग द्वारा संचालित संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) पचास प्रतिशत निदेशक सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वाराः परन्तु यह कि यदि प्रतिशत के आधार पर पदों की संख्या पूर्णांक में नहीं है तो पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की संख्या अगले उच्चतर पूर्णांक में होगीः परन्तु यह और कि यदि भर्ती के किसी वर्ष में पदोन्नति के लिए पर्याप्त पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो निदेशक सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों में से, जिन्होने सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और ज्येष्ठ लेखा परीक्षक सम्मिलित करके, के पदों पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित किए जाने हेतु पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(2) उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों (संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारियों को सम्मिलित करके प्रचलित पुनर्संरचना के पूर्व जिन्हें अब जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों के रूप में पदाभिहित किया जा चुका) में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	**(2) उप निदेशक –** मौलिक रूप से नियुक्त जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(3) संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	**(3) संयुक्त निदेशक–** मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या ऐसे उप निदेशकों में से, जिन्होंने उप निदेशक और जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के रूप में कुल बारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(4) मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और मौलिक रूप से नियुक्त उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा: परन्तु यह कि– यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा के मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशक और उप निदेशकों में से जिन्होने क्रमशः तीन वर्ष और पांच वर्ष की सेवा उक्त पदों पर पूर्ण कर ली हो अथवा उत्तर प्रदेश वित्त और लेखा सेवा (ज्येष्ठ वेतनमान) के सदस्यों में से स्थानान्तरण द्वारा पद को भरा जा सकेगा।	**(4) अपर निदेशक–** मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों या मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशकों में से, जिन्होंने संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के रूप में कुल सत्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
	(5) निदेशक– मौलिक रूप से नियुक्त अपर निदेशक में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या मौलिक रूप से नियुक्त अपर निदेशक में से, जिन्होंने अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के रूप में कुल बीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

नियम–6 का प्रतिस्थापन

4–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–6 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आरक्षण– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय–समय पर यथा संशोधित, अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	**आरक्षण–** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियोंऔर अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 2020 के भी अनुसार एवं भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

नियम–8 का प्रतिस्थापन

5–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–8 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
शैक्षिक अर्हताएं– जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं अवश्य होनी चाहिए, (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। (दो) देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान ।	**शैक्षिक अर्हताएं–** जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं अवश्य होनी चाहिएः– (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी शाखा में स्नातक की उपाधि। (दो) देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।

नियम–16 का संशोधन

6–उक्त नियमावली में, नियम–16 में, दिये गये विद्यमान उपनियम–1 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया– (1) उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी और मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय – समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन, लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेंगी।	**विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया–** (1) उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक और निदेशक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गृठन, लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी।

स्तम्भ–1 **विद्यमान उप नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
टिप्पणी: चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नाम निर्देशन, समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा–7 के अधीन दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	**टिप्पणी:** चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नाम निर्देशन, समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा–7 के अधीन दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

7–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए नियम 4(2) और 24(2) से संलग्न विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर, स्तम्भ– 2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थातः– परिशिष्ट में संशोधन

परिशिष्ट

स्तम्भ–1 **विद्यमान परिशिष्ट**								स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट**					
क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान			क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	कुल	वेतन बैण्ड का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड (रु0)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रु0)			स्थायी	अस्थायी	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6
(क) 1–	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	01	–	01	बैण्ड वेतन–4	37400–67000	8900	(क) 1–	निदेशक	01	–	01	वेतन मैट्रिक लेवल 13A रु0 131100–216600
2	संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	02	–	02	बैण्ड वेतन–3	15600–39100	7600	2	अपर निदेशक	01	–	01	वेतन मैट्रिक लेवल 13 रु0 123100–215900
3	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/ प्रधानाचार्य	31	01	32	बैण्ड वेतन–3	15600–39100	6600	3	संयुक्त निदेशक	02	–	02	वेतन मैट्रिक लेवल 12 रु0 78800–209200
4	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/ प्रवक्ता	118	05	123	बैण्ड वेतन–3	15600–39100	5400	4	उप निदेशक	30	01	31	वेतन मैट्रिक लेवल 11 रु0 67700–208700
								5	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/ सहायक निदेशक	118	05	123	वेतन मैट्रिक लेवल 10 रु0 56100–177500
	संवर्ग के पदों की कुल संख्या	152	06	158					संवर्ग के पदों की कुल संख्या	152	06	158	
ख	प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित (संवर्गीय पदों की 25 प्रतिशत संख्या)							ख	प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित (संवर्गीय पदों की संख्या का 25 प्रतिशत)				

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. Audit-1-04/X-2025-300(1)/13T.C. dated January 27, 2025.

No. Audit-1-04/X-2025-300(1)/13T.C.

Dated Lucknow, January 27, 2025

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Co-operative and Panchayat Audit Service Rules, 2015

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE AND PANCHAYAT AUDIT SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2024

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Co-operative and Panchayat Audit Service (First Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of Rule 3

2. In The Uttar Pradesh Co-operative and Panchayat Audit Service Rules, 2015 hereinafter referred to as the said rules, in rule 3 *for* existing sub rule (f) and (g) set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing Sub-rule*	COLUMN-2 *Sub-rule as here by substituted*
(f) "Deputy Chief Audit Officer" means any person appointed as such by the Governor, and includes the Principal, Training Institute;	(f) *Omitted.*
(g) "District Audit Officer" Means any person appointed as such by the Governor, and includes the Audit Officer appointed at the office of the Chief Audit Officer or other institutions and the Lecturer Training Institute;	(g) "District Audit Officer" Means any person appointed as such by the Governor, and includes the Assistant Director appointed at the office of the Director Co-operative Societies and Panchayat Audit Uttar Pradesh or other Institutions and the Training Institute;

Amendment of Rule 5

3. In the said rules, *for* existing rule-5set out in column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted* , namely :-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as here by substituted*
Source of Recruitment- Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:- **1-District Audit Officer-** (i) Fifty percent by direct recruitment through the Combined State Services Examination conducted by the Commission; (ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Assistant Audit Officers of the Co-operative and Panchayat Audit Organization who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment:	**Source of Recruitment-** Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:- **(1) District Audit Officer/ Assistant Director-** (i) Fifty percent by direct recruitment through the Combined State Services Examination conducted by theCommission. (ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Assistant Audit Officers under the administrative control of Director Co-operative Societies and Panchayat Audit Uttar Pradesh who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment:

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as here by substituted*
Provided that if the number of posts on the basis of the percentage is not a whole number, the number of posts to be filled in by promotion shall be the next higher whole number:	Provided that if the number of posts on the basis of the percentage is not a whole number, the number of posts to be filled in by promotion shall be the next higher whole number:
Provided further that if in any year of recruitment sufficient number of eligible persons are not available for promotion, the field of eligibility may be extended to include such substantively appointed Assistant Audit Officers of the Co-operative and Panchayat Audit Organization who, taken together, have completed seven years substantive service on the posts of Assistant Audit Officer and Senior Auditor on the first day of the year of recruitment.	Provided further that if in any year of recruitment sufficient number of eligible persons are not available for promotion, the field of eligibility may be extended to include such substantively appointed Assistant Audit Officers under the administrative control of Director Co-operative Societies and Panchayat Audit Uttar Pradesh, who taken together, have completed seven years substantive service on the posts of Assistant Audit Officer and Senior Auditor on the first day of the year of recruitment.
2-Deputy Chief Audit Officer-	**2-Deputy Director-**
By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed District Audit Officer (including Regional Audit Officers prevailing before restructuring who have now been designated as the District Audit Officers) who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment.	By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed District Audit Officer/Assistant Director who have completed seven years service as such on the first day of the year of recruitment.
3-Joint Chief Audit Officer-	**3-Joint Director -**
By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Deputy Chief Audit Officers who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment.	By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Deputy Directors who have completed five years service or from amongst Deputy Directors who have completed twelve years of total service as Deputy Director and District Audit Officer/Assistant Director on the first day of the year of recruitment.
4-Chief Audit Officer-	**4- Additional Director-**
By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Joint Chief Audit Officers who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment and from amongst substantively appointed Deputy Chief Audit Officers who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment:	By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Joint Directors who have completed three years service or amongst substantively appointed Joint Directors who havecompleted total service of seventeen years as Joint Director, Deputy Director and District Audit Officer/Assistant Director, on the first day of the year of recruitment.

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as here by substituted*
Provided that if suitable persons are not available for promotion, the post may be filled by transfer from amongst substantively appointed Joint Directors and Deputy Directors of the Local Fund Audit Service who have completed three years service and five years service respectively on the aforementioned posts or by transfer from amongst members or the Uttar Pradesh Finance and Accounts Service (Senior Scale).	**5- Director-** By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Additional Director who have completed three years service as such or amongst substantively appointed Additional Director who have completed total service of twenty years as Additional Director, Joint Director, Deputy Director and District Audit Officer/Assistant Director on the first day of the year of recruitment.

Substitution of Rule 6

4. In the said rules, *for* existing rule-6 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted* namely: -

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as here by substituted*
Reservation- Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (reservation for Physically Handicapped Dependents of Freedom Fighters and Ex Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.	**Reservation-** Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the 'Act' and The Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex. Servicemen) Act, 1993, and also in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Economically Weaker Sections) Act, 2020, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Substitution of Rule 8

5. In the said rules, *for* existing rule-8 set out in column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted* , namely :-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as here by substituted*
Academic Qualification - A candidates for direct recruitment to the post of District Audit Officer must possess the following qualifications:- (i) Bachelor's degree in Commerce from a University established by Law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto; (ii) Working knowledge of Hindi Written in Devnagari Script.	**Academic Qualification-** A candidate for direct recruitment to the post of District Audit Officer/Assistant Director must possess the following qualifications: - (i) Bachelor's degree in any discipline from a University established by Law in India; (ii) Working knowledge of Hindi Written in Devnagari Script .

Amendment of Rule 16

6. In the said rules, in rule 16 *for* existing sub rule-1 set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as here by substituted*
Procedure for recruitment by promotion through the Departmental Selection Committee (1) Recruitment by promotion to the posts of Deputy Chief Audit Officer, Joint Chief Audit Officer and Chief Audit Officer shall be made on the basis of the criterion	**Procedure for recruitment by promotion through the Departmental Selection Committee** (1) Recruitment by promotion to the posts of Deputy Director, Joint Director, Additional Director and Director shall be made on the basis of the criterion laid

COLUMN-1 *Existing Sub-rule*	COLUMN-2 *Sub-rule as here by substituted*
laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Utter Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.	down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.
NOTE-Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Schedule Tribes and other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time.	**NOTE**- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Schedule Tribes and other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time.

Amendment in Appendix

7. In the said rules *for* existing appendix appended with rule-4(2) and 24 (2) set out in Column-1 below, the appendix as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

APPENDIX

COLUMN-1 *Existing Appendix*								COLUMN-2 *Appendix as here by substituted*					
Sl No.	Name of Post	Number of Posts			Scale of Pay			Sl. No.	Name of Post	Number of Posts			Scale of Pay
		Perma-nent	Temp-orary	Total	Name of Pay Band	Corresp-onding Pay Band (Rs.)	Corresp-onding Grade Pay (Rs.)			Perma-nent	Tempo-rary	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6
(A)1.	Chief Audit Officer	01	-	01	Pay Band-4	37400-67000	8900	(A) 1.	Director	01	-	01	Pay Martix Level-13A Rs. 131100-216600
2.	Joint Chief Audit Officer	02	-	02	Pay Band-3	15600-39100	7600	2.	Additional Director	01	-	01	Pay Martix Level-13 Rs. 123100-215900
3.	Deputy Chief Audit Officer/ Principal	31	01	32	Pay Band-3	15600-39100	6600	3.	Joint Director	02	-	02	Pay Martix Level-12 Rs. 78800-209200
4.	District Audit Officer	118	05	123	Pay Band-3	15600-39100	5400	4.	Deputy Director	30	01	31	Pay Martix Level-11 Rs. 67700-208700
	Total Number of Cadre Posts	152	06	158				5.	District Audit Officer/ Assistant Director	118	05	123	Pay Martix Level-10 Rs. 56100-177500
(B)	Deputation Reserve (25% of the number of the Cadre posts)								Total Number of Cadre Posts	152	06	158	
								(B)	Deputation Reserve (25% of the number of the Cadre posts)				

By order,
DEEPAK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 470 राजपत्र–2025–(1230)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 वित्त–2025–(1231)–2500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
470 RPH 2025 (vitt evam Lekha) (data 8e